कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / ...3221..... **आदेश** दिनांक : 18 / 09 / 2025

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारीगण का राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-IV datede 11-Dec- 2024, के बिन्दु संख्या 26 की अनुसूची–II के खण्ड–बी में, शीर्षक (i) में संशोधन किये जाने तथा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांकित 10.03.2025 व उक्त आदेश के संबंध में जारी स्पष्टीकरण दिनांकित 03.06.2025, 01.07.2025 तथा वित्तीय उन्नयन के संबंध में श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त मार्गदर्शन पत्र क्रमांक जी/आई/ए–4(i)(a)/150/2023/759 दिनांकित 14.08.2025 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 17 के नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अध्यधीन उनके नाम के आगे अंकित कॉलम संख्या 05 व 06 में दिनांक 01.09.2024 से एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित वेतन निर्धारण किया जाता हैः–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	दिनांक 01.09.2024 को विद्यमान वेतनमान		दिनांक 01.09.2024 को संशोधित वेतनमान		आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
		पे–मैट्रिक्स लेवल	मूल वेतन	पे–मैट्रिक्स लेवल	मूल वेतन	
01	02	03	04	05	06	07
1.	**रविशंकर मीना,** च.श्रे.क. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),जयपुर महानगर–II	L-02	25500/-	L-3	**26000**	**01.07.2025**
2.	**विजय सिंह,** तामिल कुनिन्दा. जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–II	**कार्मिक का वेतन/लेवल अधिसूचना से प्रमावित नही होने के कारण दिनांक 01.09.2024 को अपरिवर्तनीय/यथावत रहेगा।**				
3.	**सुरेन्द्र सिंह चौहान,** च.श्रे.क. जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–II	L-02	24800/-	L-3	**25200**	**01.07.2025**
4.	**स्व श्री हरिश कुमार शर्मा,** **च.श्रे.क. मृत्यु दिनांक 08.02.2025** अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), जयपुर महानगर–II	L-02	26300/-	L-3	26800	**दिनांक 08.02.2025 को मृत्यु होने के कारण उक्त दिनांक को सेवामुक्त किये जाने के कारण वेतनवृद्धि देय नहीं हैं।**
5.	**सेवानिवृत्त राधेश्याम रैगर,** **च.श्रे.क.** **सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2024** विशिष्ट न्यायाधीश (सती निवारण) अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–II	L-03	32000/-	L-4	**32700**	**दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्त होने के कारण आगामी वेतनवृद्धि देय नहीं हैं।**

01. उपरोक्त संशोधित वेतन निर्धारण के तहत वित्तीय लाभ दिनांक 01.09.2024 से देय होगा।
02. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवारोल मे किया जावे।

– 2 –

– 5d –

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 3272

दिनांक : 18 / 09 / 2025

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकं कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी ।.
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय